


## भागलिय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: आदेश :—

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी को उनके नाम के सामने संयुक्त अवधि का वेतन कॉलम संख्या - 04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम व पदस्थापन स्थान (राजमापि)	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है
01	02	03	04
1	जगन लाल पालीवाल, भोकरण जैसलमेर	नवम्बर -2019 से फरवरी 2020	राजमापि भोकरण-जैसलमेर में व्या. हिन्दी के रिक्त पद से
2	प्रोति बिनादरा, नापासर - बीकानेर	जून 2018 (01.06. 18 से 11.06.18 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.02.2020 के द्वारा अनुमोदन )	राजमापि नापासर - बीकानेर में व्या. हिन्दी के विरुद्ध
3	करतार सिंह, गांवगुडा - खमनौर - राजसमंद	15.03.19 से जून 2019	राजमापि गांव गुडा, खमनौर - राजसमंद में व्या. हिन्दी के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निरन्तरण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।


  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/वेतन-व्यवस्था/2019

दिनांक:- 04-03-2020

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. संबंधित अभ्यर्थी
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर